

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 27.08.2021 के कार्यवृत्त

विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 27.08.2021 को पूर्वान्ह 10:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

01.	प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
02.	प्रो० ए.के. सक्सेना	सदस्य
03.	प्रो० एस.एस. सिंह	सदस्य
04.	प्रो० मनीषा दुबे	सदस्य
05.	प्रो० एल.व्ही.के.एस. भास्कर	सदस्य
06.	जी.के. पात्रा	सदस्य
07.	प्रो० व्ही.एस. राठौर	सदस्य
08.	प्रो० मनीष श्रीवास्तव	सदस्य
09.	प्रो० प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
10.	प्रो० डी.एन. सिंह	सदस्य
11.	प्रो० बी.एन. तिवारी	सदस्य
12.	प्रो० टी.व्ही. अर्जुनन	सदस्य
13.	डॉ० निलकांत पानीग्रही	सदस्य
14.	डॉ० रेणु भट्ट	सदस्य
15.	प्रो० पी.के. बाजपेयी	सदस्य
16.	डॉ० एस.सी. तिवारी	सदस्य
17.	डॉ० पुष्पराम सिंह	सदस्य
18.	डॉ० बी.डी. मिश्रा	सदस्य
19.	प्रो० प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
20.	डॉ० ब्रजेश तिवारी	सदस्य
21.	डॉ० सी.एस. वझलवार	सदस्य
22.	डॉ० अनुपमा सक्सेना	सदस्य
23.	डॉ० सुशील कुमार शाहिल	सदस्य
24.	डॉ० ए.के. चंद्राकर	सदस्य
25.	डॉ० आलोक कुमार कुशवाहा	सदस्य
26.	डॉ० रोहित राजा	सदस्य
27.	डॉ० एस.सी. श्रीवास्तव	सदस्य
28.	डॉ० एम. चक्रधर राव	सदस्य
29.	प्रो० ए.एस. रणदिवे	सदस्य
30.	प्रो० एस.एस. सिंह	सदस्य
31.	डॉ० रश्मि अग्रवाल	सदस्य
32.	डॉ० पारिजात ठाकुर	सदस्य
33.	डॉ० अश्वनी कुमार दीक्षित	सदस्य
34.	डॉ० संजीत कुमार सरदार	सदस्य
35.	डॉ० आर.के. चौबे	सदस्य
36.	डॉ० नमिता शर्मा	सदस्य
37.	श्री अमित बघेल	सदस्य


27.08.21

38.	डॉ० अनामिका तिवारी	सदस्य
39.	डॉ० एस.एस. ठाकुर	सदस्य
40.	डॉ० अमितेश झा	सदस्य
41.	डॉ० ए.के. शर्मा	सदस्य
42.	डॉ० जोरम बेगी, अरूणाचल प्रदेश (ऑनलाईन उपस्थित)	सदस्य
43.	डॉ० एस.बी. कोनाले, मैसूर	सदस्य
44.	श्री प्रदीप देशपाण्डे, बिलासपुर	सदस्य
45.	डॉ० एम.एन. त्रिपाठी, अधिष्ठाता छात्रकल्याण	सदस्य
46.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव(कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं थे :-

01. प्रो० अशोक कुमार मिश्रा
02. डॉ० पी.पी. मूर्ति
03. डॉ० व्ही.डी. रंगारी
04. प्रो० भारत भास्कर, रायपुर
05. प्रो० कमलेश पी. जोशिपुरा, राजकोट

बैठक के प्रारंभ में कुलपति/अध्यक्ष विद्यापरिषद् ने विद्यापरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विकास में विद्यापरिषद् की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की एवं सदस्यों से आह्वान किया कि विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर स्थान दिलाने के लिए विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर कार्य करेंगे।

इसके पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति से विषय वस्तु पर चर्चा प्रारम्भ हुई, जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र.-01 विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 06.10.2020 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 06.10.2020 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।

विषय क्र.-02 विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 06.10.2020 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

विद्यापरिषद् की आवश्यक बैठक दिनांक 06.10.2020 के पालन प्रतिवेदन से अवगत हुए।

विषय क्र.-03 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.10.2020, 09.11.2020, 23.11.2020, 16.02.2021, 26.02.2021, 09.03.2021, 08.04.2021 एवं 28.07.2021 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.10.2020, 09.11.2020, 23.11.2020, 16.02.2021, 26.02.2021, 09.03.2021, 08.04.2021 एवं 28.07.2021 के कार्यवृत्तों का अनुमोदन किया गया।

विषय क्र.-04

अध्यादेश क्रमांक-73 एवं क्रमांक-74 को विद्यापरिषद में रखे जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि विषय क्रमांक-4 एवं विषय क्रमांक-6 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय तथा एकजाई कर संशोधन सहित अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

विद्यापरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के उपाधियों से संबंधित अध्यादेशों के पुनर्विचार एवं प्रारूपण हेतु समिति गठित की जाय। समिति के सदस्य नामित करने हेतु कुलपति महोदय विद्यापरिषद की ओर से अधिकृत रहेंगे।

विषय क्र.-05

विभागाध्यक्षों की नियुक्ति एवं चक्रानुक्रम संबंधी अध्यादेश के प्रारूप पर विचार करना।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावित अंतिम पैरा-8 में Said in के स्थान पर Said as above in पढ़ा जाय एवं तदनुसार प्रस्तावित अध्यादेश अनुमोदित किया जाय।

विषय क्र.-06

M.Sc. बायोटेक्नालॉजी पाठ्यक्रम के अध्यादेश क्रमांक-74 हेतु प्रस्तावित संशोधन पर विचार।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि विषय क्रमांक-4 एवं विषय क्रमांक-6 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय तथा एकजाई कर संशोधन सहित अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्र.-07

श्रीमती रागिनी दुबे के शोध ग्रंथ जमा करने हेतु अतिरिक्त समयावधि आवेदन एवं विभागीय शोध समिति के कार्यवृत्त दिनांक 28.06.2021 पर विचार।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि रागिनी दुबे का प्रकरण शिक्षा विभाग के विभागीय शोध समिति को नियमों के प्रकाश में पुनर्विचार हेतु अंतरित कर दिया जाय।

विद्यापरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि विभागीय शोध समिति से प्राप्त होने वाले अनुशंसा/निर्णय को विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्र.-08

विश्वविद्यालय शोध विनियम 2018 के नियमन R 4.5.2 में संशोधन पर विचार।

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया जाय एवं इस संबंध में कृत कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार।

अ.अ.वि.क्र.01.

Nomination of Six Teachers by the Academic Council for constitution of the Academic Planning, Development and Monitoring Board in Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur.

विद्यापरिषद ने यह निर्णय लिया कि विद्यापरिषद की ओर से सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।


अ.अ.वि.क्र.02.

आंतरिक गुणवत्ता एवं आश्वासन प्रकोष्ठ समिति की बैठक दिनांक 26.08.2021 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद ने प्रस्तुत कार्यवृत्त का अवलोकन कर अनुमोदन किया।

बैठक के अंत में कुलसचिव ने बैठक में आमंत्रित बाह्य सदस्यों एवं आंतरिक सदस्यों तथा अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।


(प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल)
कुलपति / अध्यक्ष


(प्रो० शैलेन्द्र कुमार)
कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव